न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 03/2026 तारीख रजू:— 02.01.2026

जीसीएमएस नं. 2026/5

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर

R.A.S.

महेन्द्र कुमार जैन पुत्र विरधी चन्द जैन जाति जैन निवासी पुराना बस स्टेण्ड करौली तहसील व जिला करौली ———————————— प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार तहसील श्रीमहावीरजी जिला करौली राजस्थान ———— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थित:— 1. श्री विजय गुर्जर एडवोकेट प्रार्थी

निर्णय

दिनांक :— 09.04.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है आराजी खाता सं. 642 के हाल खसरा नम्बर 981 रकवा 0.32 है0 एवं भूमि खाता सं. 85 हाल खसरा 982/1457 रकवा 0.16 है0 वाके ग्राम पटोंदा तहसील श्रीमहावीरजी में स्थित है। उक्त आराजीयात प्रार्थी एवं सहखातेदारो की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमियां है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थी का नाम महेंद्र कुमार है तथा आधार कार्ड, पहचान पत्र, परिवार राशनकार्ड, जनआधार कार्ड, पेन कार्ड, आदि सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम महेंद्र कुमार अंकित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थी को सन् 1971 में गुलाव चन्द द्वारा की गई रिलिजडीड द्वारा उक्त सम्पत्ति प्राप्त हुई थी लेकिन नामान्तकरण खोलते वक्त लिपिकिय भूल से प्रार्थी का नाम महेंद्र कुमार के स्थान पर महेश चन्द दर्ज कर दिया गया है। जिसका ज्ञान प्रार्थी को नहीं हुआ तथा तभी से ही महेंद्र कुमार के स्थान पर हाल राजस्व रिकॉर्ड में महेश चन्द नाम चला आ रहा है। जबकि बृद्धिचन्द के महेश चन्द नाम का कोई लडका नहीं था,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

तथा कैलाशचन्द, नरेन्द्र कुमार, धर्मेन्द्र कुमार, वीरेन्द्र कुमार, महेंद्र कुमार, बृद्धिचन्द के पुत्र है महेश चन्द नाम का कोई पुत्र स्व० बृद्धिचन्द का नही है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि दिनांक 27.12.2025 को प्रार्थी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का आवेदन करने के लिए अपनी उक्त भूमियों की जमाबंदी निकलवाई तब प्रार्थी से ई–मित्र ने कहा कि तुम्हारी इस जमाबंदी में तुम्हारा नाम महेश चन्द पुत्र बृद्धिचन्द दर्ज है। महेंद्र सिंह इस जमाबंदी में नाम दर्ज नहीं है। जिस पर प्रार्थी ने पटवारी हल्का पटोंदा से इस सम्बन्ध में कहा तो उन्होने ने कहा कि पहले तुम जमाबंदी में पहले तुम्हारा नाम सही करवाओं तभी तुम किसान सम्मान निधि के पात्र होगें इसलिए यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि राजस्व रिकॉर्ड में रिलिजडीड का नामान्तकरण खोलते वक्त लिपिकिय मूल से महेंद्र कुमार की जगह महेश चन्द नाम दर्ज होने से प्रार्थी किसान सम्मान निधि का आवेदन नहीं कर पा रहा है तथा प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा दी जा रही समस्त सुविधाओं से वंचित रहना पड रहा है। इसलिए न्यायहित में महेश चन्द की जगह महेंद्र कुमार दर्ज किया जाना न्याय संगत है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थी को उक्त गलती का ज्ञान सर्वप्रथम दिनांक 27.12.2025 को ई–मित्र से जमाबंदी निकलवाने पर हुआ इसलिए प्रार्थना पत्र हाजा अन्दर म्याद पेश है।

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि उक्त प्रार्थना पत्र में कोई ऐसा तथ्य दर्ज नही है जो धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम की परिधि से बाहर हो।

प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र हाजा की सुनवाई व समाअत का क्षेत्राधिकार इस सम्मानीय न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र निश्चित कोर्ट फीस पर पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी खाता सं. 642 के हाल खसरा नम्बर 981 कुल किता 1

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

कुल रकवा 0.3200 हैक्टेयर एवं भूमि खाता सं. 85 हाल खसरा 982/1457 कुल किता 1 कुल रकवा 0.1600 हैक्टेयर वाके ग्राम पटोंदा तहसील श्रीमहावीरजी में प्रार्थी का हाल राजस्व रिकॉर्ड में महेशचन्द नाम हजफ कर महेंद्र कुमार नाम दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी तहसीलदार श्रीमहावीरजी को फरमाये जावें तथा महेश चन्द की जगह हाल राजस्व रिकॉर्ड में महेंद्र कुमार नाम अमल दरामद करने के अप्रार्थी तहसीलदार श्रीमहावीरजी को आदेश फरमाये जावें ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने बाद तामील उपस्थित होकर पत्रांक भ0अ0/2026/175 दिनांक 03.02.2026 से जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि मुताविक पटवारी पटोंदा एवं भू-अभिलेख निरीक्षक वृत विजयपुरा द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट के आधार पर बिन्दूवार रिपोर्ट निम्नानुसार है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम पटोंदा खसरा नम्बर 981 रकबा 0.32 है0 खसरा नम्बर 982/1457 रकबा 0.16 है0 महेश चंद पुत्र बृद्धि चंद जाति जैन हि. 1/10 नि. ग्रा. खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि पत्र में संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, जनाधार, पेन कार्ड में महेन्द्र कुमार पुत्र विरधी चंद जैन अंकित है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि पत्र में सलंग्न रिलीजडीड सन् 1971 की सत्यप्रति अनुसार रिलीजकर्ता गुलाब चंद जैन पुत्र मोहरी लाल जैन द्वारा रिलीज ग्रहिता महेन्द्र कुमार पुत्र विरधी चंद अंकित है। जिसका नामान्तरण जमाबंदी सम्वत् 2027 से 2030 में खाता संख्या 31 में नामा० संख्या 83 द्वारा महेन्द्र कुमार पुत्र विरधी चंद वगै, के नाम खोला गया है जिसका अगली जमाबंदी (सम्वत् 2031-2034) में अमल करते समय महेश चंद पुत्र विरधी चंद हो गया है एवं सम्वत् 2035-38 में भी महेश चंद पुत्र विरधी चंद अंकित है। इसी प्रकार सेटलमेंट खतोनी में उक्तानुसार अंकित है। अतः स्पष्ट है कि नामान्तकरण में सही नाम महेन्द्र कुमार पुत्र विरधी चंद अंकित था किन्तु नामान्तकरण का अमल करते समय लिपिकीय त्रुटि से महेश चंद पुत्र विरधी चंद

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हो गया है चूँकि उक्त अशुद्धि सेटलमेंटपूर्व की है जिसका राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में माननीय द्वारा शुद्धि आदेश दिया जाना उचित है। महेश चंद पुत्र विरधी चंद नाम का कोई व्यक्ति नही है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि मुताबिक उक्तानुसार रिकॉर्ड ग्राम पटोंदा जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 85, 642 में महेश पुत्र वृद्धि चंद के बजाय महेन्द्र कुमार पुत्र विरधी चंद जैन किया जाना उचित है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि बिन्दू संख्या 5 लगायत 9 जबाब अपेक्षित नही है।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2073–76, फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 556285025528 महेंद्र कुमार जैन पुत्र बिरधी चन्द जैन निवासी पुराना बस स्टैण्ड करौली राजस्थान, फोटो प्रति पेन कार्ड सं0 ABPPJ0332A महेंद्र कुमार जैन पुत्र बिरधी चन्द जैन, फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड संख्या 240 महेंद्र कुमार जैन पुत्र बृद्धि चंद जैन निवासी पुराना बस स्टैण्ड के पास करौली, फोटो प्रति जनाधार कार्ड नं0 5031781481 प्रेमलता जैन पत्नि महेंद्र कुमार जैन, फोटो प्रति भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र सं0 आरजे/11/080/492309 महेंद्र कुमार, फोटो प्रति रिलीज डीड तारीख 1971, मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति, पेश किये हैं।

वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2073–76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 981 रकबा 0.32 है0, वाके ग्राम पटोंदा तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी महेशचंद पुत्र बृद्धिचन्द हि0 1/10 जाति जैन सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा शेष हिस्से के अन्य सहखातेदार मुताविक राजस्व रिकार्ड दर्ज हैं

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नकल जमाबन्दी सं0 2073—76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 982/1457 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम पटोंदा तहसील श्रीमहावीरजी की खातेदारी महेशचंद पुत्र बृद्धिचन्द हि0 1/10 जाति जैन सा0 ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति फोटो प्रति आधार कार्ड सं0 556285025528 महेंद्र कुमार जैन पुत्र बिरधी चन्द जैन निवासी पुराना बस स्टैण्ड करौली राजस्थान के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति पेन कार्ड ABPPJ0332A महेंद्र कुमार जैन पुत्र बिरधी चन्द जैन के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र सं0 आरजे/11/080/492309 महेंद्र कुमार पुत्र वृद्धिचंद निवासी हस्पताल तहसील करौली जिला करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

फोटो प्रति जन आधार कार्ड नं0 5031781481 प्रेमलता जैन पत्नि महेंद्र कुमार जैन के नाम से जारी हुआ है।

फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड संख्या 240 महेंद्र कुमार जैन पुत्र बृद्धि चंद जैन निवासी पुराना बस स्टैण्ड के पास करौली के नाम से जारी किया हुआ है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं तहसीलदार श्रीमहावीरजी से प्राप्त जबाव के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 981 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 982/1457 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम पटोंदा तहसील श्रीमहावीरजी में खातेदार महेशचंद पुत्र बृद्धिचन्द हि0 1/10 जाति जैन सा0 ग्राम खातेदार के स्थान पर महेन्द्र कुमार पुत्र बृद्धिचन्द हि0 1/10 जाति जैन सा0 ग्राम खातेदार संशोधन कराने का प्रार्थी अधिकारी साबित हैं। ऐसे हालात में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 981 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 982/1457 रकबा 0.16 है0 वाके ग्राम पटोंदा तहसील श्रीमहावीरजी में खातेदार महेशचंद पुत्र बृद्धिचन्द हि0 1/10 जाति जैन सा0 ग्राम खातेदार के स्थान पर महेन्द्र कुमार पुत्र बृद्धिचन्द हि0 1/10 जाति जैन सा0 ग्राम खातेदार संशोधन करने के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेगें। तहसीलदार श्रीमहावीरजी को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमहावीरजी को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/4/26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)